संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः एफ 01–68/2020/विज्ञप्त/2355 **रायपुर, दिनांक : 14/10/2020**

प्रकाशन की तारीख 14 / 10 /2020	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 16.10.2020 से 31.10.2020 सायं 5.00 बजे तक।

छत्तीसगढ़ शासन, "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के 300 रिक्त पदों की सीधी भर्ती (बैकलॉग पद शामिल) हेतु यह विज्ञापन "छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़) में तदर्थ/संविदा रूप से पदस्थ चिकित्सक भी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सा अधिकारी इस विज्ञापन हेतु पात्र नहीं होगें। विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर रिक्त पदों का वर्गवार विवरण नीचे तालिका में दर्शित हैं :–

पद का नाम	कुल रिक्तियों की संख्या					कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद					कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन (OA, OL) के लिए वर्गवार आरक्षित पद					कुल योग
	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	
चिकित्सा अधिकारी	**177**	**47**	**64**	**12**	**300**	**53**	**14**	**19**	**4**	**90**	**3**	**1**	**1**	**1**	**6**	**300**
Abbreviations used :- OA- One Arm, OL- One Leg																

सामान्य नियम एवं शर्तें :–

1. **पद का विवरण :–**

पद का नाम :– चिकित्सा अधिकारी

सेवा श्रेणी :– द्वितीय श्रेणी – छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें)

वेतनमान :– 56100–177500 (लेवल 12) 7वें वेतनमान अनुसार (वेतन बैंड 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400/–) एवं समय–समय पर राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते। (विज्ञापन के कंडिका 7 अनुसार वेतन देय होगा)

2. **शैक्षणिक अर्हताएं :–**

2.1 एम.बी.बी.एस. उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी)।

2.2 छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के मेडिकल कांऊसिल में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में 2 माह के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

2.3 ऐसे उम्मीदवार जो एम.बी.बी.एस. के साथ पी.जी. डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी है, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

2.4 अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण–पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं अन्य अर्हताओं के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

3. आवेदन भरने की तिथि एवं प्रक्रिया :–

3.1 ऑन–लाईन आवेदन दिनांक 16.10.2020 से दिनांक 31.10.2020 को कार्यालयीन समय सायं 5.00 बजे तक विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in के माध्यम से भरे जा सकेगें।

3.2 विज्ञापित पद हेतु **आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार** किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3.3 चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु ऑन–लाईन आवेदन व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा–निर्देश विभाग के वेबसाईट www.cghealth.nic.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

3.4 उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देश/आदेश/सूचना एवं अन्य जानकारियों के आधार पर आवेदनों की संविक्षा कर पात्र आवेदकों की सूची विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर जारी किया जावेगा।

4. **आयु सीमा :–** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2020 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे। किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आरक्षण :–

5.1 उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेंगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। किन्तु विज्ञापन में जारी कुल रिक्त पदों की संख्या अपरिवर्तनीय होगा।

5.2 सेवा में भर्ती के समय "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों (जैसे–महिला/दिव्यांग/अन्य) के आरक्षण हेतु समय–समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे।

5.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी ही निःशक्तजन के आरक्षण हेतु मान्य होंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी को अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराया जा सकता है।

5.4 आरक्षित वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम वाला जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5.5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण–पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

5.6 महिला अभ्यार्थियों/निःशक्त व्यक्तियों के लिए पद, शासन द्वारा समय–समय पर बनाए गए अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जाएगे।

6. "छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक 372/2016/वि/नि/चार/2020, दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश 21/2020) अनुसार सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा। सीधी भर्ती के पदो पर चयनीत समस्त चिकित्सा अधिकारियों को तीन वर्षों की परिवीक्षा अवधि में उक्त वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

8. **चयन हेतु मापदंड एवं प्रक्रियाः–** शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेंगा। मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों से प्राप्त योग के आधार पर तैयार की जावेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

8.1 शैक्षणिक योग्यता :–

i. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि) के प्राप्तांको की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 75 अंक प्रावधानित है।

ii. अन्य देशों से वांछित शैक्षणिक योग्यताधारक अभ्यर्थियों के अंकों की गणना भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फारेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्जामिनेशन/स्क्रीनिंग टेस्ट से प्राप्त अंकों को उपरोक्त गणना हेतु आधार माना जावेगा।

iii. छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊसिल में जीवित पंजीयन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में राज्य में 2 माह के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

iv. अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता मेडिसिन/सर्जरी/स्त्रीरोग/शिशुरोग/ एनेस्थिसिया/ ऑपथेल्मोलॉजी/रेडियोलॉजिस्ट/पैथालॉजिस्ट/नाक, कान, गला रोग/अस्थि रोग/मनोरोग/चर्मरोग/क्षयरोग विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु 05 अंक एवं स्नातकोत्तर डिग्री हेतु 10 अंक प्रावधानित है। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु अधिकतम 10 अंक प्रावधानित है।

8.2 कार्यानुभव :–

i. छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सालयों / संस्थाओं में अनुभव के आधार पर मात्र राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों (शासन आदेश क्रमांक एफ 4–1 / 2014 / 1–3 नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015 एवं उसमें समय–समय पर जारी संशोधन अनुसार) में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है। (Annexure-I)

ii. अनुभव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित विकासखण्डों में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को एक वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जावेगा तथा सत्यापन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. की नियुक्ति हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नियुक्ति हेतु मिशन संचालक / संचालक चिकित्सा शिक्षा की नियुक्ति हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा / अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय की नियुक्ति हेतु संबंधित अधिष्ठाता / डीएमएफ मद से नियुक्ति हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक / अन्य आदि द्वारा जारी किया जावेगा। (Annexure-I)

8.3 अंतिम मेरिट सूची :– अंतिम मेरिट सूची अभ्यार्थि द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की जावेगी। जो उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.बी.बी.एस. / एन.बी.ई.) में प्राप्त कुल अंकों + कार्यानुभव अंक + अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों के योग से मेरिट के आधार पर होगी। आवेदन में गलत अथवा त्रूटिपूर्ण दिये जाने पर आवेदक की अर्हता समाप्त की जा सकती है।

9. ऑन–लाईन आवेदन करने के संबंध में निर्देश / जानकारी :–

9.1 उपरोक्त पदों पर आवेदन ऑन–लाईन पोर्टल (www.cghealth.nic.in) के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें समस्त प्रविष्टि आवेदक द्वारा स्वयं या किसी की सहायता से आवेदन कर सकता हैं।

9.2 ऑन–लाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा–निर्देश एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) में उपलब्ध है।

9.3 ऑन–लाईन आवेदन करते समय अनुभव प्रमाण पत्र, मेडिकल कौंसिल का पंजीयन, एनबीई का प्रमाण पत्र (विदेश से एमबीबीएस उत्तीर्ण अभ्यार्थियों हेतु) एवं आवेदन का प्रिंट आऊट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर आन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेज के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे–जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हताएं (अंक सूचियां) का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (तदर्थ / संविदा हेतु) आदि दस्तावेज सत्यापन के समय मूलएवं दो सत्यापित प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.4 आवेदक, आवेदन बड़ी ही सावधानीपूर्वक सभी प्रविष्टियॉ सही–सही भरे एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। गलत जानकारी देने पर आवेदन अमान्य किये जा सकते है, जिसके लिए आवेदक स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

9.5 आवेदन पूर्ण करने के पश्चात् जब आवेदन को सुरक्षित (Save) करना होगा जिससे कि पृथक पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक ही आवेदक का यूसर नेम होगा। उक्त पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी नोट कर सुरक्षित रखेगें।

9.6 आवेदक ध्यान रखे की अपने पंजीयन क्रमांक तथा पासवर्ड किसी अन्य को पता न चले।

9.7 उपरोक्त आवेदन में समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज में दिये अनुसार ही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जॉच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी (चयन के पूर्व/पश्चात्) त्रुटिपूर्ण पायें जाने पर उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय विभाग का होगा।

9.8 वेबसाईट पर उपलब्ध ऑन–लाईन आवेदन प्रपत्र अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जावेगें। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम से ऑफ–लाईन प्रस्तुत किए गये आवेदन स्वीकार नही किए जावेगें एवं इस प्रकार प्रस्तुत आवेदनों के निरस्तीकरण की कोई सूचना पृथक से नही दी जावेंगी ।

9.9 आवेदन संबंधी एवं अन्य नियम एवं शर्तो की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है।

9.10 आवेदक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन भरते समय समस्त जानकारी स्वयं जांच कर ले एवं आन–लाईन भरे गए आवेदन का प्रिंट आऊट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर आन–लाईन अनिवार्य रूप से अपलोड़ किया जाना होंगा।

10. आवेदक, आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन ऑन लाईन भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी, जिसकी सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

11. अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. द्वारा कराया जावेगा प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

12. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम्यक अन्य कोई भी शासकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा/अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को ही कार्यानुभव के अंक प्रदान किए जाएगें। (Annexure-II)

14. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–** छत्तीसगढ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलों राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की स्थिति में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. की नियुक्ति हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नियुक्ति हेतु मिशन संचालक/संचालक चिकित्सा शिक्षा की नियुक्ति हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय की नियुक्ति हेतु संबंधित अधिष्ठाता/डीएमएफ मद से नियुक्ति हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/अन्य आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार ही मान्य किये जायेगें।

15. **संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सा अधिकारी इस विज्ञापन हेतु पात्र नहीं होगें।**

16. प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अपलोड होने वाले आवेदन पत्रों एवं चयन प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य समस्त जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर दी जावेगी। पृथक से आवेदक को सूचना नहीं दी जावेगी। समय-समय पर आवेदक उपरोक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

17. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन-पत्र में दिये सभी स्थानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

18. विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचनः-इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें, महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यार्थी पर बंधनकारी होगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

(Annexure-I)

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–1/2014/1–3/एक नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015 एवं पत्र क्रमांक 1–1/2012/1–3, दिनांक 23.09.2020 के द्वारा अधिसूचित दुर्गम/सामान्य अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र

क्रमांक	जिला	जिला/विकासखण्ड
1	सुकमा	सम्पूर्ण जिला
2	दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला
3	नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला
4	बीजापुर	सम्पूर्ण जिला
5	कांकेर	कोयलीबेड़ा, दुर्गकोंदल, अंतागढ़ विकासखण्ड

सामान्य अनुसूचित क्षेत्र

क्रमांक	जिला	जिला/विकासखण्ड
1	बस्तर	सम्पूर्ण जिला
2	कोण्ड़ागांव	सम्पूर्ण जिला
3	सरगुजा	सम्पूर्ण जिला
4	कोरिया	सम्पूर्ण जिला
5	बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला
6	सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला
7	जशपुर	सम्पूर्ण जिला
8	कोरबा	सम्पूर्ण जिला
9	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	सम्पूर्ण जिला
10	धमतरी	नगरी विकासखण्ड
11	बालोद	डौंडी विकासखण्ड
12	कांकेर	कांकेर, चरामा, नरहपुर, **भानुप्रतापपुर** विकासखण्ड
13	गरियाबंद	गरियाबंद, छुरा, एवं मैनपुर विकासखण्ड
14	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर विकासखण्ड
15	रायगढ़	खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ तमनार एवं लैलूंगा विकासखण्ड

(Annexure-II)

अनापत्ति सह सेवा अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ..पिता/पति. ....पदस्थापना स्थान...में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक .... से .... तक कार्यरत है/था। इन्हें वर्ष 2020 में विज्ञापित चिकित्सा अधिकारी के पद पर आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है। इनका शासकीय सेवा का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पदांकन स्थान	विकास खण्ड	जिला	दुर्गम/सामान्य अधिसूचित क्षेत्र है	सेवा अवधि					नियुक्ति का प्रकार (नियमित/तदर्थ/संविदा/अन्य)	नियुक्ति का आदेश क्र. एवं दिनांक	रिमार्क
					दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह	दिन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												

<u>**अनुशंसा सहित अग्रेषित**</u>

प्रति,

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़।

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पदनाम : ....

कार्यालय का नाम: ....

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी)

नोट:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा उच्च कार्यालयों को इस प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र हेतु जानकारी अग्रेषित करें।